22.07.2023

<u>आर.सी.टी. 611/2022 शा.पु. मक्सूदनगढ, वि0 रामबाबू आदि।</u>

समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत।

राज्य द्वारा श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित श्री विकास जैन अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर प्रकरण के आहत एवं अभियुक्तगण की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) (2) दं.प्र.सं. पेश किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

आहत कन्हैयालाल अहिरवार की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320(2) दं.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294, 352, 506 भाग–2 के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण जारी है। उक्त अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। राजीनामा के संबंध में आहत कन्हैयालाल को सुना गया। उसके द्वारा व्यक्त किया कि आरोपीगण और उसके मध्य राजीखुशी से बिना किसी भय या दबाव के राजीनामा हो गया है। उनके मध्य अब कोई मनमुटाव नहीं है, उनके मध्य वर्तमान में मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं।

उपरोक्तानुसार फरियादी ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय या दबाब के अपराध का शमन करना व्यक्त किया है। फरियादी अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार प्रकट होती है। उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों से इस न्यायालय का यह समाधान होता है कि उक्त अपराध का शमन फरियादी कन्हैयालाल के हित में है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 352, 506 भाग–2 भा.दं.सं. के अपराध का शमन करने की अनुमति दी जाती है।

उभयपक्ष द्वारा छायाचित्रयुक्त लिखित एवं हस्ताक्षरित शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। फरियादी कन्हैयालाल द्व ारा अपनी पहचान के संबंध में आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न की गयी उसकी पहचान श्री विकास जैन अधिवक्ता द्वारा की गयी। ऐसी परिस्थितियों में उभयपक्ष के मध्य संबंध मधुर बने रहने इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये शमन आवेदन पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण 1. रामबाबू पिता कमरलाल अहिरवार, उम्र–33 साल, 2. बब्लू उर्फ

चौसरलाल पिता कमरलाल अहिरवार, उम्र–30 साल, निवासीगण–गुंजारी, थाना–मक्सूदनगढ़, गुना म.प्र. को धारा 294, 352, 506 भाग–2 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

अभियुक्तगण की निरोध अवधि निरंक है, इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

इस आदेश की एक प्रति सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(आशीष शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ़, जिला गुना म.प्र.

ASHISH SHARMA
Digitally signed by ASHISH SHARMA
Date: 2023.07.22 14:37:53 +0530